<u>न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 623/2014</u> संस्थित दिनांक 15.09.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

– अभियोगी

वि रू द्व

भीम राणे पिता शंकर राणे बलाई, आयु—32 वर्ष, पेशा—मजदूरी, निवासी—निमरानी बैड़ी, थाना बलकवाड़ा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

- अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ **– श्री अकरम मंसूरी** अभियुक्त द्वारा अभिभाषक **– श्री संजय गुप्ता**

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 03—10—2016 को घोषित)

- 01— आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 227 / 2014 के आधार पर दिनांक 14.08.2014 को रात्रि 9 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम गोलाटा में फरियादी राजू को धारदार वस्तु ब्लेड से मारकर स्वैच्छ्या उपहति कारित करने के कारण भादिव की धारा 324 का अभियोग है।
- 02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानते हैं तथा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि फरियादी द्वारा आरोपी से राजीनामा किए जाने के कारण आरोपी को भादिव की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। अतः यह निर्णय भादिव की धारा 324 के आरोप के संबंध में ही घोषित किया जा रहा है।
- 03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.08.2014 को फरियादी राजू ने आरोपी के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की गई कि वह ग्राम गोलाटा रहता है तथा उसकी बहन आशा की ससुराल ग्राम निमरानी में है, आरोपी उसका जीजा है। आरोपी और उसकी बहन की अनबन होने से उसे ग्राम गोलाटा 3 माह पहले उसके पिताजी ले आए थे। दोपहर को आरोपी उनके घर आया और उसकी बहन आशा को ले जाने के लिए माथा—पच्ची कर रहा था। इसी बात को लेकर आरोपी ने गालियां दीं। रात लगभग 9 बजे उसने आरोपी को समझाया तो

आरोपी ने उसे मां—बहन की गंदी—गंदी गालियां दीं, जो उसे सुनने में बुरी लगीं और आरोपी ने हाथ में रखी ब्लेड उसे दाहिने हाथ में मार दी, जिससे कलाई के पास चोटें आईं और खून निकला तथा आरोपी ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी। सुरेश और उसकी बहन आशा ने बीच—बचाव किया। आरोपी ब्लेड मारकर भाग गया। फरियादी राजू की रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 227/2014 दर्ज कर विवेचना के दौरान आहत को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त से ब्लेड जप्ती व उसकी गिरफ्तारी कार्यवाही कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादिव की धारा 324 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूटा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

豖.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 14.08.2014 को रात्रि 9 बजे फरियादी राजू के घर के सामने ग्राम गोलाटा में उसे धारदार वस्तु ब्लेड से मारकर स्वैच्छ्या उपहति कारित की ?

विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष —

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी राजू उपाध्याय (अ.सा.—1) का कथन है कि उसकी बहन आशा का अभियुक्त के साथ लगभग 5 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और घटना से लगभग 3 माह पूर्व विवाह विच्छेद भी हो गया था। घटना वाले दिन घर से फोन आया कि अभियुक्त घर पर आ गया है और आशा को साथ ले जाने के लिए माथा—पच्ची कर रहा था। वह अंजड़ से उसके गांव ग्राम गोलाटा रात्रि लगभग 9 बजे पहुंचा था, आरोपी जोर—जोर से गालियां दे रहा था, उसे समझाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसे हाथ में रखी ब्लेड उसके दाहिने हाथ में मार दी थी, जो उसे कलाई के उपर की ओर लगी, खून निकला। साक्षी का यह भी कहना है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी, जो प्रपी—1 है, पुलिस ने उसे अंजड़ अस्पताल फिर वहां से बड़वानी अस्पताल भेजा था। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी।

07— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रात्रि लगभग 9 बजे अंधेरा हो जाता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह घर पहुंचा तो काफी व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उनके गांव में विद्युत का खम्भा नहीं है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि अंधेरे के कारण वह आरोपी को नहीं देख पाया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी अथवा उसने अभियुक्त को फंसाने के लिए स्वयं चोट कारित की है।

- अभियोजन साक्षी सुरेश कुमावत (अ.सा.–2) तथा आशा (अ.सा.–4) ने भी आरोपी द्वारा घटना दिनांक को फरियादी के साथ विवाद करने और राजू को हाथ की कलाई पर ब्लेड मारने के संबंध में स्पष्ट कथन किए हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि इस घटना की रिपोर्ट राजू ने थाना अंजड़ पर की थी और पुलिस ने राजू का मेडिकल परीक्षण कराया था। साक्षी सुरेश (अ.सा.–2) का यह भी कथन है कि पुलिस ने अभियुक्त से ब्लेड का टुकड़ा प्रपी—2 के अनुसार जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी सुरेश (अ.सा.–2) ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने अभियुक्त को राजू को ब्लेड मारते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके राजू से अच्छे संबंध हैं, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी से अच्छे संबंध होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है। इसी प्रकार साक्षी आशा (अ.सा.-4) ने भी बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय गांव में विद्युत प्रदाय नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह उसके पति के साथ जाना नहीं चाहती और तलाक चाहती है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह अभियुक्त से तलाक लेने के लिए उसके विरूद्ध असत्य कथन कर रही है।
- 09— अभियोजन साक्षी रमजान (अ.सा.—3) आरोपी और फरियादी को पहचानने के अतिरिक्त अभियोजन के अन्य किसी मामले का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इन्कार किया है। सम्भवतः उक्त साक्षी जानबूझकर अभियुक्त से मिलकर उसके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है।
- 10— अभियोजन साक्षी कमल तारे (अ.सा.—5) का कथन है कि उसने दिनांक 14.08.2014 को फरियादी राजू की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध, उसके दाहिने हाथ में ब्लेड मारने के संबंध में प्रपी—1 का अपराध क्रमांक 227/2014 दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना का नक्शामौका प्रपी—4 का प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह ने बनाया था, वह उसकी लिखावट को पहचानता है और प्रधान आरक्षक ने आरोपी द्वारा पेश करने पर एक बलेड का टुकड़ा प्रपी—2 के अनुसार जप्त किया था तथा साक्षी रमजान, आशा, सुरेश और राजू के कथन लेखबद्ध किए थे।
- 11— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादी और आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं. लेकिन साक्षी

ने यह जानकारी होने से इन्कार किया है कि फरियादी और आरोपी की आपस में रंजिश है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने फरियादी को रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी अथवा उसने असत्य रिपोर्ट दर्ज की थी।

- 12— आरोपी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी एवं फरियादी की आपस में रंजिश है, इस कारण आरोपी के विरूद्ध असत्य मामला दर्ज कराया गया है तथा प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी रमजान (अ.सा.—3) ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, शेष अभियोजन साक्षी फरियादी के हितबद्ध साक्षी हैं तथा फरियादी राजू का मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक साक्षी का भी परीक्षण नहीं कराया गया है। उनका यह भी तर्क है कि शेष अपराध धाराओं में फरियादी और आरोपी के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः इस मामले में अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है।
- यह सही है कि फरियादी एवं आरोपी के मध्य आरोपी की पत्नी के 13-आरोपी के साथ नहीं जाने के कारण आपसी विवाद है, जो कि फरियादी की बहन है, लेकिन इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी एवं फरियादी आपस में निकट रिश्तेदार हैं। ऐसी स्थिति में निकट रिश्तेदारी में छोटे से विवाद को लेकर झूठी रिपोर्ट लिखाई जाना सम्भव प्रतीत नहीं होती है। फरियादी (अ.सा.-1) एवं स्वयं की बहन आशा (अ.सा.-4) जो कि आरोपी की पत्नी है के द्वारा फरियादी को धारदार वस्तु ब्लेड से मारने के संबंध में स्पष्ट कथन किए हैं, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। साक्षी सुरेश (अ.सा.–2) ने भी आरोपी द्वारा फरियादी को उसके सामने ब्लेंउ से मारकर चोट पहुंचाने के संबंध में स्पष्ट कथन किए हैं। इस घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद आहत द्वारा थाने पर लिखाई गई है, जिस पर आहत को अभियोजन साक्षी कमल तारे (अ.सा.–5) द्वारा मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। ऐसी स्थिति में अभियोजन की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि आरोपी घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजू को धारदार वस्तू ब्लेड से मारकर स्वैच्छ्या उपहति कारित की थी। यद्यपि, आहत का मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक साक्षी का कथन राजीनामा होने के कारण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है, लेकिन जहां आहत और चश्मदीद साक्षीगण के कथन आरोपी के द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत को धारदार वस्तु ब्लेड से मारकर स्वैच्छ्या उपहति कारित करने के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट है और उसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक साक्षी के कथन नहीं होने से अभियोजन के मामले पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पडता और मात्र इस आधार पर आरोपी दोषमुक्ति का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है कि चिकित्सक साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है।
- 14— अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी भीम राणे पिता शंकर राणे बलाई ने आहत राजू को घटना दिनांक, समय व स्थान पर धारदार वस्तु ब्लेड से उसकी दाहिने हाथ की कलाई पर मारकर स्वैच्छ्या उपहति कारित की, जो कि भादिव की धारा 324 का अपराध

- 5 - आप.प्रक.कमांक 623/2014

है तथा अभियोजन उक्त अपराध आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। फलतः यह न्यायालय आरोपी भीम राणे पिता शंकर राणे बलाई को भादिव की धारा 324 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित करता है।

15— प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीविक्षा विधान के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय का आलेखन कुछ देर के लिए स्थिगत किया गया।

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला बडवानी, म.प्र.

<u>पुनश्चः</u>

- 16— सजा के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी प्रकरण मं अभिरक्षा में है तथा गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे। यह सही है कि आरोपी इस प्रकरण में अभिरक्षा में है और पारिवारिक विवाद के कारण उक्त घटना घटित हुई है, जिसे देखते हुए आरोपी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना उचित प्रतीत होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त भीम राणे पिता शंकर राणे बलाई, आयु 32 वर्ष, निवासी निमरानी बैड़ी, थाना बलकवाड़ा, जिला खरगोन को भादवि की धारा 324 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए 20 दिवस के सश्रम कारावास से दण्डित करता है।
- 17— अभियुक्त अपनी व्यतीत की गई निरोध अवधि को दंप्रसं की धारा 428 के प्रावधानों अनुसार दी गई सजा में से मुजरा कराने का पात्र है, तत्संबंधी निरोध अवधि बाबत धारा 428 दंप्रसं का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
- 18— अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जाए।
- 19— निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।
- 20— प्रकरण में जप्तशुदा मशरूका एक ब्लेड का टुकड़ा मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट की जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / –
(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड जिला बडवानी, म.प्र.

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला बडवानी, म.प्र.